संख्या-50/2017-2153 ई-2/तेरह-2017-119/2017

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 09 अक्टूबर,2017

विषयः-जल्सा रेस्टोरेन्ट, लोवर ग्राउण्ड फ्लोर, आर0डी0 काम्पलैक्स, कॉम-1, सेक्टर-3ए आवास विकास कालोनी, सिकन्दरा, आगरा को एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-230/आब0सहा0/2016-17, दिनांक 09 अगस्त,2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दि0 20-7-2017 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-212/दस-लाइसैंस-12/खण्ड-10/एफ0एल0-6-7/बार अनु0/आगरा, दिनांक 26 अगस्त,2017 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त जल्सा रेस्टोरेन्ट, लोवर ग्राउण्ड फ्लोर, आर0डी0 काम्पलैक्स, कॉम-1, सेक्टर-3ए आवास विकास कालोनी, सिकन्दरा, आगरा को वर्ष 2017-18 के लिये स्वीकृत करने पर राज्य सरकार की अनुमति एतद्द्वारा इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि अनुज्ञापी द्वारा एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन के सम्बन्ध में समस्त सुसंगत शासनादेशों/नियमावलियों में विहित शर्तो एवं व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया तदनुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-50/2017/2153(1) ई-2/तेरह-2017, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-212/दस-लाइसेंस-12/खण्ड-10/एफ0एल0-6-7/बार अनु0/आगरा, दिनांक 26 अगस्त,2017 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।